न्यायालय : रूचि गोलस सगर, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, जबलपुर (म0प्र0)

आपराधिक प्रकरण क्रमांक–1054 / 2023
फाईलिंग नं.–3926 / 2023
सी.एन.आर.नं.–एमपी20010054672023
संस्थित दिनांक–08 / 02 / 2023

निर्णय दिनांक 23 / 05 / 2023

आरक्षी केन्द्र गोहलपुर के अपराध क्रमांक 928 / 2022 अपराध अंतर्गत धारा–34(1),49(ए)(1)(ए)(i) आबकारी अधिनियम से उद्भूत प्रकरण।

परिवादी	म.प्र. राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र गोहलपुर जिला जबलपुर म.प्र.
प्रतिनिधित्व द्वारा	श्री विमलकिशोर चंदवारिया, सहायक लोक अभियोजन अधिकारी
अभियुक्त	1. राजेन्द्र उर्फ बड़े मिया पुत्र छोटेलाल मेहरा, उम्र 25 वर्ष निवासी जगदम्बा, कॉलोनी महाराजपुर, जिला जबलपुर म.प्र.।
प्रतिनिधित्व द्वारा	श्री उमाशंकर पाण्डे।

अपराध की तिथि	दिनांक 28.12.2022
प्रथम सूचना रिपोर्ट की तिथि	दिनांक 28.12.2022
आरोपो की विरचना की तिथि	दिनांक 22.02.2023
साक्ष्य प्रारंभ किये जाने की तिथि	दिनांक 28.02.2023
निर्णय सुरक्षित किये जाने की तिथि	दिनांक 19.05.2023
निर्णय की तारीख	दिनांक 23.05.2023
दंडादेश, यदि कोई हो, की तारीख	दिनांक 23.05.2023

अभियुक्त का विवरण

अभियुक्त की श्रेणी	अभियुक्त का नाम	न्यायिक अभिरक्षा की तारीख	जमानत पर रिहा किये जाने की तारीख	अपराध जिनका आरोप है	दोषमुक्ति या दोषसिद्धि	अधिरोपित दंडादेश	धारा 428 दप्रस के प्रयोजनार्थ विचारण के दौरान भोगी गई निरोध की अवधि
1	राजेन्द्र उर्फ बड़े मिया	28.12.22	निरंक	34(1) आब. अधि.	दोषमुक्ति	दोषमुक्ति	145 दिवस
				49(ए)(1)(ए)(i) आब. अधि.	दोषमुक्ति	दोषमुक्ति	

अभियोजन/प्रतिरक्षा/न्यायालयीन साक्षियों की सूची

क. अभियोजन साक्षी :–

श्रेणी	नाम	साक्ष्य की प्रकृति
अ.सा. 1	राजू कोरी	जप्ती साक्षी
अ.सा. 2	राजा चौधरी	जप्ती साक्षी
अ.सा. 3	संतोष दीक्षित	विवेचक साक्षी
अ.सा. 4	विजय तिवारी	विवेचक साक्षी

ख. प्रतिरक्षा साक्षी, यदि कोई हो :–

श्रेणी	नाम	साक्ष्य की प्रकृति
निरंक	निरंक	निरंक

अभियोजन/प्रतिरक्षा/न्यायालयीन साक्षियों प्रदर्शों की सूची

क. अभियोजन :–

स.क्रं.	प्रदर्श संख्या	विवरण
1	प्र.पी. 1/राजू कोरी अ.सा. 1, राजा चौधरी अ.सा. 2	मुखबिर सूचना का पंचनामा
2	प्र.पी. 2/राजू कोरी अ.सा. 1, राजा चौधरी अ.सा. 2, संतोष दीक्षित अ.सा. 3, विजय तिवारी अ.सा. 4	बरामदगी पंचनामा
3	प्र.पी. 3/राजू कोरी अ.सा. 1, राजा चौधरी अ.सा. 2, संतोष दीक्षित अ.सा. 3, विजय तिवारी अ.सा. 4	पहचान पंचनामा
4	प्र.पी. 4/प्र.पी. 2/राजू कोरी अ.सा. 1, राजा चौधरी अ.सा. 2, संतोष दीक्षित अ.सा. 3, विजय तिवारी अ.सा. 4	जप्ती पत्रक
5	प्र.पी. 5/प्र.पी. 2/राजू कोरी अ.सा. 1, राजा चौधरी अ.सा. 2, संतोष दीक्षित अ.सा. 3, विजय तिवारी अ.सा. 4	गिरफतारी पत्रक
6	प्र.पी. 6/ राजू कोरी अ.सा. 1	पुलिस कथन
7	प्र.पी. 7/ राजा चौधरी अ.सा. 2	पुलिस कथन
8	प्र.पी. 8/विजय तिवारी अ.सा. 4	कार्यालय पुलिस अधीक्षक जबलपुर
9	प्र.पी. 9/राजू कोरी अ.सा. 1	परीक्षण प्रतिवेदन
10	प्र.पी. 10/विजय तिवारी अ.सा. 4	प्रथम सूचना रिपोर्ट
11	प्र.पी. 11/विजय तिवारी अ.सा. 4	अपराध विवरण

ख. प्रतिरक्षा :–

स.क्रं.	प्रदर्श संख्या	विवरण
निरंक	निरंक	निरंक

//–निर्णय–//

01. अभियुक्त राजेन्द्र उर्फ बड़े मिया पर आबकारी अधिनियम की धारा 34(1) एवं 49(ए)(1)(ए)(i) के अंतर्गत आरोप है कि दिनांक 28.12.2022 को समय करीब 21:15 बजे, या उसके लगभग स्थान गायत्री मंदिर गेट के पास, गायत्री मंदिर रोड, थाना गोहलपुर, जबलपुर में स्वयं के आधिपत्य में एक हरे रंग की 5 लीटर की प्लास्टिक की कुप्पी में 5 लीटर जहरीली अवैध हाथ भटटी की कच्ची शराब कीमती 500/– अवैध रूप से रखे हुए पाये गये तथा अनुपयुक्त मदिरा का आयात/निर्यात/परिवाहन/विनिर्माण/संग्रहण किया/उसे अपने कब्जे में रखा/उसे बोतलो में भरा या बेचा, जो कि मानव उपयोग के लिए अनुपयुक्त थी।

02. अभियोजन का पक्ष संक्षेप में इस प्रकार है कि, सूचनाकर्ता विजय तिवारी आरक्षी केन्द्र गोहलपुर में निरीक्षक के पद पर पदस्थ थे और दिनांक 28.12.2022 को दौरान इलाका भ्रमण जरिये मुखबिर सूचना प्राप्त होने पर सूचना की तस्दीक हेतु मुखबिर द्वारा बताये स्थान पर आबकारी बल एवं पुलिस बल के साथ गायत्री मंदिर रोड, पहुंचे तो एक लड़का अपने दाहिने हाथ में एक हरे रंग की प्लास्टिक की कुप्पी में अवैध कच्ची शराब रखे हुये मिला जो पुलिस बल को देखकर भागते हुये छिपने का प्रयास करने लगा जिससे हमराह स्टाफ की मदद से घेराबंदी कर पकड़ा तथा नाम पता पूछने पर अपना नाम राजेन्द्र मेहरा उर्फ बड़े मिया होता बताया तथा उसके हाथ में हरे रंग की कुप्पी को चेक करने पर उसमें कच्ची शराब होना पाया, जो करीब 5 लीटर कीमती 500/– को बरामदी पंचनामा तैयार किया तथा उक्त शराब रखने के संबंध में दस्तावेज मांगने पर अभियुक्त ने कोई दस्तावेज ना होना बताया। मौके पर समक्ष गवाहान शराब की विधिवत जांच की गई जो तीक्षण गंध व भिन्न रंग की शराब होना पाई गई। उक्त शराब को को जप्त कर म.प्र. आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 34(1)क के अंतर्गत प्रकरण पंजीबद्ध किया और आरोपी की तलाशी ली एवं साक्षीगण के कथन लेखबद्ध किये, अभियुक्त को गिरफतार कर गिरफतारी पंचनामा बनाया, समुचित आवश्यक अनुसंधान उपरांत अभियोग पत्र विचारार्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया।

03. न्यायालय द्वारा अभियुक्त को निर्णय की कण्डिका 1 में वर्णित अपराध की विशिष्टियां पढ़कर सुनाई व समझायी गई तो अभियुक्त ने अपराध करना अस्वीकार किया और विचारण चाहा। धारा–313 द0प्र0सं0 के अन्तर्गत परीक्षण किये जाने पर स्वयं को निर्दोष होना एवं झूंठा फंसाया जाना बताया।

04. न्यायालय के समक्ष विचारणीय प्रश्न यह है कि :–

01. ''क्या दिनांक 28.12.2022 को करीब 21:15 बजे, या उसके लगभग गायत्री मंदिर गेट के पास, गायत्री मंदिर रोड,

थाना गोहलपुर, जबलपुर में अभियुक्त के आधिपत्य से प्राप्त जप्तशुदा शराब मानव उपयोग के लिए अनुपयुक्त थी?''

02 ''क्या अभियुक्त उक्त दिनांक, समय एवं स्थान में स्वयं के आधिपत्य में एक हरे रंग की 5 लीटर की प्लास्टिक की कुप्पी में 5 लीटर जहरीली अवैध हाथ भटटी की कच्ची शराब कीमती 500/– अवैध रूप से रखे हुए पाया गया?''

–:सकारण विवेचना एवं निष्कर्ष:–
विचारणीय प्रश्न कमांक 01

05. साक्षी विजय तिवारी अ.सा. 04 ने न्यायालयीन साक्ष्य में बताया कि दिनांक 28.12.2022 को थाना गोहलपुर में थाना प्रभारी के पद पदस्थ थे। उक्त दिनांक को अभियुक्त के आधिपत्य से जप्तशुदा शराब तथा सैंपल ए1 परीक्षण हेतु पुलिस अधीक्षक कार्यालय के पत्र कं. एसपी/जे.बी.पी/एफ.एस.एल. 1668/22 दिनांक 30.12.2022 के माध्यम से एफ.एस.एल. सागर परीक्षण हेतु भेजा गया था जो प्र0पी0–8 है और उक्त एफ.एस.एल. रिपोर्ट के आधार पर सागर राज्य न्यायालयिक प्रयोगशाला से प्राप्त रिपोर्ट प्र0पी0–9 है। यह कि प्रकरण में राज्य न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला सागर म.प्र. की रिपोर्ट प्र0पी0–9 संलग्न है जिसके अवलोकन से यह स्पष्ट है कि जप्तशुदा शराब कच्ची हाथ भट्टी की शराब थी और उसके सैंपल प्रदर्श–ए1 में 21.82 प्रतिशत एथाईल एल्कोहल है और उसमें तलछट एवं फरफ्यूरल उपस्थित है और यह मदिरा सैंपल मानवीय सेवन हेतु अनुपयुक्त है। उक्त प्रतिवेदन प्र0पी0–9 का बचाव पक्ष की ओर से कोई खण्डन नहीं किया गया है। अतः प्रतिवेदन प्र0पी0–9 से यह स्पष्ट प्रमाणित होता है कि प्रकरण में जप्तशुदा 5 लीटर शराब मानव उपयोग के लिए अनुपयुक्त थी।

विचारणीय प्रश्न कमांक 02

06. अब विचारणीय बिंदु यह है कि क्या उक्त जप्तशुदा कच्ची हाथ भट्टी की शराब को अभियुक्त राजेन्द्र उर्फ बडे मिया द्वारा अवैध रूप से उसके आधिपत्य में रखा पाया गया, जिसके संबंध में जप्तीकर्ता साक्षी विजय तिवारी अ.सा. 04 ने न्यायालयीन साक्ष्य में बताया कि दिनांक 28.12.2022 थाना गोहलपुर में थाना प्रभारी के पद पदस्थ थे। उक्त दिनांक को अपराध शाखा के सहायक उपनिरीक्षक रामसनेही शर्मा उनकी टीम के साथ जिसमें प्रधान आरक्षक संतोष, अरूण, रामसहाय तथा अनुप सिंह शामिल थे और उनके द्वारा उन्हें मुखबिर की सूचना से अवगत कराया था, जिसके संबंध में निर्मित मुखबिर सूचना पंचनामा प्र0पी0–1 है और मुखबिर के बताये स्थान पर संदेही राजेन्द्र मेहरा को 5 लीटर की कुप्पी के साथ पकड़ा था जिसका बरामदी पंचनामा प्र0पी0–2 है और उक्त कुप्पी को खोलकर

देखने पर उपस्थित साक्षी राजू से चखवाकर पहचान पंचनामा प्र0पी0–3 निर्मित कर साक्षीगण राजा चौधरी एवं राजू के समक्ष अभियुक्त से शराब जप्त कर जप्तीपत्रक प्र0पी0–4 तथा अभियुक्त को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक प्र0पी0–5 तैयार कर अभियुक्त के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र0पी0–10 लेखबद्ध कर घटनास्थल का नक्शामौका प्र0पी0–11 तैयार किया था। साक्षी संतोष अ.सा. 3 ने साक्षी विजय तिवारी अ.सा.4 का सारतः समर्थन किया है।

07. प्रकरण में यह अवलोकनीय है कि स्वतंत्र साक्षी राजू अ.सा. 01, राजा अ.सा.2 के द्वारा अभियोजन घटनाक्रम का कोई समर्थन नहीं किया गया है और साक्षीगण ने मुखबिर सूचना पंचनामा प्र0पी0–1 बरामदगी पंचनामा प्र0पी0–2, पहचान पंचनामा प्र0पी0–3, जप्ती पंचनामा प्र0पी0–4, गिरफ्तारी पत्रक प्र0पी0–5 के ए से ए भाग पर स्वयं के हस्ताक्षर बताये है, किंतु घटना के संबधं में कोई जानकारी ना होना बताकर अभियोजन के प्रत्येक सूचक प्रश्न से एवं उनके समक्ष की गई उपरोक्त कार्यवाही से स्पष्ट इंकार किया है। साक्षी राजू ने प्रतिपरीक्षण में बचाव पक्ष के सुझाव को स्वीकार किया कि वह किसी काम से थाने गया था तब पुलिस के कहने पर उपरोक्त दस्तावेज पर हस्ताक्षर कर दिये। यह कि जप्ती पंचनामा कोई तात्विक साक्ष्य नहीं होता जब तक उसे जप्ती साक्षीगण के माध्यम से प्रमाणित ना कराया जाये तत्संबंध में **न्यायदृष्टांत श्रवण विरूद्ध स्टेट ऑफ एमपी 2006 (2) एएनजे (एमपी) 235** अवलोकनीय है।

08. प्रकरण में जप्ती पत्रक प्रपी–4 के कॉलम नं. 12 पर जप्तशुदा मदिरा को मौके पर सीलबंद किये जाने का कोई उल्लेख नहीं है जो कि मौके पर जप्तशुदा मदिरा को जप्त किये जाते समय जप्ती पत्रक पर उल्लेखित किया जाना चाहिये और इसी प्रकार नक्शामौका प्र0पी0–11 पर किसी स्वतंत्र साक्षी के हस्ताक्षर नहीं है जिसके संबंध में जप्तीकर्ता साक्षी विजय तिवारी प्रतिपरीक्षण के पद क्रं. 4 की पंक्ति 3 में स्वीकार करता है। अतः नक्शामौका प्र0पी0–11 के अंतर्गत किसके बताये अनुसार घटनास्थल का विवरण व नक्शा अंकित किया गया प्रमाणित नहीं होता और नक्शामौका प्र0पी0–11 की कार्यवाही भी प्रमाणित नहीं होती है। प्रकरण में जप्ती पत्रक प्र0पी0–4 के कॉलम 4 के अनुसार घटनास्थल गायत्री मंदिर गेट के पास है, जबकि जप्ती साक्षीगण राजा चौधरी व राजू कोरी का निवास स्थान चण्डालभाटा गौशाला के पास व सिंधी कैम्प भोला नगर उल्लेखित है और तत्संबंध में हमराह साक्षी संतोष ने प्रतिपरीक्षण के पद क्रं. 6 में यह स्वीकार किया कि घटना स्थल पर लोगों का आना जाना लगा रहता है और काफी मात्रा में लोग निवास करते है तब क्यों घटनास्थल पर उपस्थित किसी व्यक्ति को साक्षी नहीं बनाया गया इसका कोई स्पष्टीकरण अभिलेख पर उपलब्ध नहीं है और तत्संबंध में कोई पंचनामा भी अभिलेख पर उपलब्ध नहीं है कि मौके पर उपस्थित स्वतंत्र व्यक्ति ने उपरोक्त कार्यवाही के साक्षी बनने से इंकार कर दिया हो जिस कारण मौके के उपस्थित स्वतंत्र व्यक्ति को साक्षी नहीं बनाया गया है। प्रकरण में जप्ती साक्षीगण

की उपस्थिति के संबंध में जप्तीकर्ता विजय तिवारी एवं हमराह साक्षी संतोष के कथन में विरोधाभाष विद्यमान है।

09. प्रकरण में जप्तीकर्ता विजय तिवारी घटनास्थल पर सहायक उपनिरीक्षक रामसनेही मय टीम जिसमें प्रधान आरक्षक संतोष भी शामिल था के साथ उपस्थित होना बताता है, किंतु साक्षी संतोष उसके प्रतिपरीक्षण के पद कं. 6 में अभियुक्त की तलाशी लेने के पूर्व साक्षीगण व अन्य की तलाशी, कोई पंचनामा, जप्ती पत्रक, पहचान पंचनामा, गिरफ्तारी पत्रक व जप्तशुदा शराब को किस वस्तु में जप्त किया जाना से स्पष्ट रूप से अंभिज्ञता प्रकट करता है। यह कि जप्तीकर्ता विजय तिवारी एवं हमराह साक्षी प्रधान आरक्षक संतोष के कथनों में तात्विक विरोधाभाष विद्यमान है जिससे अभियुक्त के साथ मौके पर की गई कार्यवाही में संदेह प्रकट होता है। यह कि स्वतंत्र साक्षी द्वारा भले अभियोजन का समर्थन नहीं किया जाये, किन्तु पुलिस साक्षीगण द्वारा एक दूसरे का परस्पर समर्थन किया जाना चाहिए, किन्तु हस्तगत प्रकरण में साक्षीगण के कथनों में महत्वपूर्ण विरोधाभाष विद्य मान है और इस संबंध में न्यायदृष्टांत **राकेश विरूद्ध स्टेट ऑफ एम.पी. 2005 (2) एम0पी0वी0नो0 46** अवलोकनीय है जिसमें अभिनिर्धारित किया गया है कि ''जहां जप्ती के अभिग्रहण ज्ञापन के स्वतंत्र साक्षियों द्वारा अभियोजन मामले का समर्थन नहीं किया गया है और पुलिस साक्षीगण भी एक–दूसरे से संपुष्ट नहीं हैं, वहां अपराध साबित नहीं माना जा सकता है।''

10. प्रकरण में जप्तीकर्ता विजय तिवारी एवं अन्य पुलिस साक्षीगण रामस्नेही शर्मा ओर उनकी टीम जिसमें प्रधान आरक्षक संतोष, अरूण, शेषनारायण, रामसहाय तथा अनुप सिंह की उनके थाने से रवानगी एवं घटनास्थल पर कार्यवाही उपरांत वापसी के संबंध में रोजनामचा सान्हा की प्रति को प्रस्तुत नहीं किया गया है जबकि रोजनामचा सान्हा की प्रति एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है जिसे प्रस्तुत किये जाने से जप्तीकर्ता एवं शेष साक्षीगण की थाने से रवानगी, घटनास्थल/मौके पर अभियुक्त से की गई कार्यवाही तथा कार्यवाही उपरांत घटनास्थल/मौके से थाने पर वापसी प्रमाणित होती है, किंतु उक्त महत्वपूर्ण दस्तावेज को प्रस्तुत एवं प्रमाणित ना किये जाने से जप्तीकर्ता एवं शेष साक्षीगण के कथन स्वभाविक एवं विश्वसनीय प्रकट नहीं होते है। अतः साक्षीगण की साक्ष्य मात्र मौखिक साक्ष्य की परिधि के अंतर्गत आती है।

11. यह स्थापित विधि है कि अभियुक्त के आधिपत्य से दोषिता स्थापित करने वाली सामग्री की बरामदगी के आधार पर दोषसिद्धि की जा सकती है, किन्तु उक्त सामग्री निर्विवाद और असंदिग्ध होनी चाहिए और अभियुक्त के आधिपत्य से जप्त की गई सामग्री की विश्वसनीयता, अपराध एवं प्रकृतिकरण के मध्य के अंतराल की अवधि, बरामद वस्तु सामान्यतः और बाजार में इसकी उपलब्धता, वस्तु की प्रकृति और अपराध के लिए इसकी प्रासंगिकता, वस्तु के हस्तांतरण में आसानी,

जप्ती साक्षीगण की साक्ष्य एवं विश्वसनीयता और अन्य समान कारक बरामदगी के आंतरिक साक्षिक मूल्य तथा उसकी विश्वसनीयता का आंकलन करने में सहायता करते है और ये सभी तथ्य अभियोजन द्वारा दोषिता स्थापित करने हेतु प्रमाणित किये जाने चाहिए इस संबंध में न्यायदृष्टांत **विजेन्द्र उर्फ मंदर विरूद्ध स्टेट ऑफ हरियाणा 2021 (4) Crimes 215 (SC)** अवलोकनीय है। अतः साक्षीगण की साक्ष्य मात्र मौखिक साक्ष्य की परिधि के अंतर्गत आती है।

12. फलतः साक्ष्य की उपरोक्तानुसार की गई विवेचना के आधार पर अभियोजन युक्तियुक्त संदेह से परे यह प्रमाणित करने में असफल रहा है कि सुसंगत तिथि, समय एवं स्थान पर अभियुक्त अपने ज्ञानयुक्त आधिपत्य में बिना किसी वैध अनुज्ञप्ति के अवैध रूप से एक नीले रंग की जरीकेन में 5 लीटर हाथ भट्टी की कच्ची शराब जो कि मानव उपयोग के लिए अनुपयुक्त थी, अवैध रूप से विक्रय हेतु रखे हुए पाये गये। अतः **अभियुक्त राजेन्द्र मेहरा उर्फ बड़े मिया** को आबकारी अधिनियम की धारा **34(1) एवं 49(ए)(1)(ए)(i)** के अपराध के आरोप से **दोषमुक्त** किया जाता है।

13. प्रकरण में जप्तशुदा 5 लीटर देशी हाथ भट्टी की बनी कच्ची शराब मूल्यहीन होने से नष्ट की जाये अथवा अपील होने पर माननीय अपील न्यायालय के आदेशानुसार संपत्ति का निराकरण किया जावे। प्रकरण में जप्तशुदा मोबाईल रेडमी 10 एस.5जी.पूर्व से पंजीकृत स्वामी की सुपुर्दगी पर है अर्थात सुपुर्दगीनामा उन्मोचित समझा जावे अथवा अपील होने पर माननीय अपील न्यायालय के आदेशानुसार संपत्ति का निराकरण किया जावे।

14. अभियुक्त द्वारा निरोध में व्यतीत की गई अवधि का प्रमाण पत्र अंतर्गत धारा 428 द0प्र0स0 का तैयार किया जावे, जो निर्णय का भाग होगा।

15. प्रकरण का परिणाम पंजी में दर्ज कर प्रकरण नियत अवधि में विधिवत अभिलेखागार को प्रेषित हो।

खुले न्यायालय में दिनांकित एवं
हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया

(रूचि गोलस सगर)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
जबलपुर म.प्र.

मेरे निर्देशन में टंकित किया गया

(रूचि गोलस सगर)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
जबलपुर म.प्र.

RUCHI GOLAS
Digitally signed by RUCHI GOLAS
Date: 2023.05.23 17:07:29 +0530